प0सं0–14/डी0एल0ए0 (टी0पी0पी0)–लखीसराय–164/2013–....2687.......रा0, पटना, दिनांक–21/11/2013

बिहार – सरकार

राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन शाखा)

अधिसूचना

पत्रांक....................../भू–अर्जन, दिनांक..............................

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा– घोघी, थाना न0– 79, थाना– कजरा, जिला–लखीसराय के अंचल सूर्यगढ़ा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात कजरा थर्मल पावर स्टेशन निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ मौजा घोघी, थाना नं0– 79 अंचल– सूर्यगढ़ा, जिला– लखीसराय के अन्दर गैरमजरूआ मालिक/बकास्त भूमि का एक भू–खण्ड जो कि समाहर्त्ता, लखीसराय के द्वारा रैयती घोषित है, अपेक्षित है। जो मानक माप से कमोवेश रकवा 4.38 एकड़ के बराबर होता है।

जिसका अर्जनाधीन खेसरा निम्नांकित है :–

अंश खेसराः– 1234

जिसका निम्नांकित चौहदी के अन्दर है :–

उत्तर – 1235

दक्षिण – 1237

पूरब – 1235

पश्चिम – 1235

यह अधिसूचना भू–अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 4 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो, भूमि का नजरी नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी कार्यालय लखीसराय मे देखा जा सकता है, बिहार सरकार भूमि अर्जन पदाधिकारी और उनके कर्मी तथा इस परियोजना हेतु धारा 4(1) के अनुसंधान मे तत्समय लगे पदाधिकारी तथा कर्मचारी को अधिनियम की धारा 2 में उपबन्धित यथा विनिद्रिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित है, अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करतें हैं। चूँकि बिहार के राज्यपाल की राय है कि उक्त 4.38 एकड़ गैरमजरूआ मालिक/बकास्त जो कि समाहर्त्ता द्वारा रैयती घोषित है और उसका शीध्र अर्जन किया जाना आवश्यक है।

अतः अधिनियम की धारा–17 की उपधारा–4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा–5–A का उपबन्ध भूमि पर लागु नहीं होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
लखीसराय।

समाहर्त्ता,
लखीसराय।

सरकार के ~~उप~~ सचिव/अवर सचिव।

(P.T.O)

ज्ञापंक 2687 /भू–अर्जन, दिनांक - 21-11-13

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एंव जन सम्पर्क निदेशालय, बिहार–पटना को सी0डी0 सहित एंव तीन प्रारूप दो दैनिक समाचार पत्र जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाय।

प्रतिलिपिः– उप–समाहर्त्ता, प्रभारी सामान्य शाखा, समाहरणालय, लखीसराय को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशित गजट की पाँच प्रतियाँ जिला भू–अर्जन कार्यालय, लखीसराय को उपलब्ध करायी जाय।

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, लखीसराय, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एंव आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
लखीसराय।

समाहर्त्ता,
लखीसराय।

सरकार के ~~उप सचिव~~/अवर सचिव।